

निर्णय बड़जलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 82/2015

तारीख दायरा 6.10.2015

उनवान

1. हेमराज आत्मज सूरजमल
2. हंसराज आत्मज सूरजमल
3. धनराज आत्मज सूरजमल
4. सोहनीबाई पुत्री सूरजमल
5. संतोष पुत्री सूरजमल
6. लाडबाई बेवा सूरजमल जाति महाजन निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादीगण —

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
3. प्रकाशचन्द्र पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
4. रमेशचन्द्र पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
5. हुकमचन्द्र पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
6. चन्द्रशेखर पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
7. अमित पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
8. रामावतार पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
9. उर्मिला पुत्री किशनगोपाल जाति महाजन निवासीगण सांगोद जिला कोटा।
10. राजेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन।
11. नीतीश कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन।
12. भरोसा बाई पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन।
13. निर्मला बाई पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन।



उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

14. स्वेता पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन ।
15. हेमलता पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन ।
16. अनिता बाई पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन ।
17. कमलाबाई बेवा जगन्नाथ जाति महाजन निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
18. श्यामलाल पुत्र मदनलाल जाति महाजन ।
19. विष्णुप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति महाजन ।
20. रघुवीर प्रसाद पुत्र मदनलाल जाति महाजन ।
21. शांतिबाई बेवा मदनलाल जाति महाजन
22. संजय कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन ।
23. सोहनीबाई पुत्री मदनलाल ।
24. इन्द्राबाई पुत्री मदनलाल ।
25. मुन्नीबाई पुत्री मदनलाल ।
26. चम्पीबाई पुत्री मदनलाल जाति महाजन निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद ।
27. हरिशंकर पुत्र छीतरलाल जाति महाजन ।
28. मिथलेश पुत्री छीतरलाल जाति महाजन ।
29. अनिता पुत्री छीतरलाल जाति महाजन ।
30. गुड्डीबाई पुत्री छीतरलाल ।
31. हेमलता बाई बेवा छीतरलाल जाति महाजन निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
32. मांगीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति महाजन निवासी सांगोद तह0 सांगोद ।
33. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

— प्रतिवादीगण —

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,209 आर0टी0एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपस्थित :-

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील वादी)

दिनांक :- 22.12.2020

श्री बहादुर सिंह (वकील प्रतिवादी)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बोरीनाकलां पटवार हलका बोरीनाकलां, एवं अमृतकुआ पटवार हलका अमृतकुआ तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में निम्न विवरण की कृषि आराजीयात स्थित है, जिसका विवरण निम्न है:-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	764	0.10
		765	2.40
		766	2.40
		767	2.40
		768	0.95
		770	0.06
		771	4.05

कुल किता 7 की कुल 12.36 हैक्टर आराजी

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	128	0.56

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

129	1.54
169	0.26
190	0.15
210	1.23
211	1.48
215	0.04
216	0.06
219	0.64
385	1.04
476	0.78

कुल किता 11 की कुल 7.78 हैक्टर आराजी

वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है, जिनके खाते व कब्जे काशत की आराजीयात मद नं0 1 में वर्णित अनुसार स्थित है, वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण के पिता स्व0 सूरजमल, किशनगोपाल, जगन्नाथ, मदनलाल, एवं चतुर्भुज, का माल ग्राम बोरीनाकलां की आराजी में बांट बराबर 1/5-1/5 हिस्से की आराजी के खातेदार रहे है।

माल ग्राम अमृतकुआ तहसील सांगोद में स्थित आराजीयात में मृतक किशनगोपाल, सूरजमल, मदनलाल, जगन्नाथ प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज है, जिनके वारिसान वाद में वादी व प्रतिवादीगण के रूप में अंकित है।

वादी व प्रतिवादीगण के बीच वर्षो पूर्व ही अपने पिता के जीवनकाल से ही आपसी सहमति से मौके पर पारिवारिक विभाजन कर लिया गया था, तथा आपसी सहमति से बटवारे में प्राप्त आराजी को मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार शांति पूर्वक काबिज काशत करते चले आ रहे है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से नाम दर्ज होने व राजस्व रिकार्ड में नाम त्रुटि होने के

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

कारण वादीगण को अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानी होने से वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करवाना व गलत रूप से नाम दर्ज होने से उसे दुरस्त करवाना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए माननीय न्यायालय में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 30 द्वारा अपने हिस्से अनुसार आपसी सहमति से मौके पर पारिवारिक विभाजन कर रखा है, और उसी अनुसार शांति पूर्वक काबिज काशत करते चले आ रहे हैं, तथा मौके पर कब्जे काशत को ध्यान में रखते हुए अपने हिस्से में बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

अ. वादीगण के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	767	2.40 हैक्टर सम्पूर्ण
माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	129	1.54 सम्पूर्ण
		128	0.56 मे से 0.06 पश्चिमी
		169	0.26 मे से 0.07 पश्चिमी

कुल किता 3 की 1.67 हैक्टर आराजी

इस प्रकार कुल आराजी 4.07 हैक्टर

ब. प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	770	0.06 सम्पूर्ण
		771	4.05 मे से 2.34 हैक्टर उत्तरी

कुल 2 किता की कुल 2.40 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सौगोद जिला कोटा

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	219	0.64 मे से 0.16 हैक्टर पश्चिमी
		211	1.48 मे से 1.35 हैक्टर दक्षिणी
		169	0.26 मे से 0.06 हैक्टर मध्य

कुल 3 किता की कुल 1.57 हैक्टर

इस प्रकार कुल आराजी 3.97 हैक्टर आराजी

स. प्रतिवादी नं० 10 ता 17 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	771	4.05 मे से 1.71 हैक्टर दक्षिणी

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	211	1.48 मे से 0.13 हैक्टर उत्तरी
		210	1.23 हैक्टर सम्पूर्ण
		219	0.64 मे से 0.16 हैक्टर पूर्वी
		169	0.26 मे से 0.06 हैक्टर पूर्वी

कुल 4 किता की कुल 1.58 हैक्टर

इस प्रकार कुल आराजी 3.28 हैक्टर आराजी

द. प्रतिवादी नं० 18 ता 31 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	766	2.40 हैक्टर सम्पूर्ण

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	128	0.56 मे से 0.50 हैक्टर पूर्वी

उपखण्ड अधिकारी
सौगोद जिला कोटा

385	1.04 सम्पूर्ण
476	0.78 हैक्टर सम्पूर्ण
219	0.64 मे से 0.32 हैक्टर मध्य की
169	0.26 मे से 0.07 हैक्टर मध्य की

कुल 5 किता की कुल 2.71 हैक्टर

इस प्रकार कुल आराजी 5.11 हैक्टर आराजी

य. प्रतिवादी नं0 32 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई. 102	765	2.40 हैक्टर

माल ग्राम बोरीना कलां के खसरा नं0 764 की 0.10 हैक्टर कृषि भूमि रास्ते के रूप में स्थित है, खसरा नं0 765,766,767 की आराजी में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में काम में आवेगी। खसरा नं0 768 की 0.95 हैक्टर पूर्व में ही नहर निकल जाने से समाप्त हो गया है, इसलिए उक्त खसरा नं0 768 को खाते से डिलीट किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार माल ग्राम अमृतकुआ की खसरा नं0 190 की 0.15 हैक्टर आराजी पूर्व में सरकारी रास्ते के रूप में गया हुआ है, तथा खसरा नं0 215 की 0.04 हैक्टर, गैर मुमकिन चाह व खसरा नं0 216 की 0.06 हैक्टर चाह उक्त दोनों खसरा नम्बरान सभी पक्षकारो वादी व प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में संयुक्त रूप से रहेगा।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से हुए पारिवारिक विभाजन अनुसार बंटवारा करवाने हेतु राजस्व शिविर में जाने की कहने पर भी प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुए, तथा वादीगण से बंटवारा करवाने से साफ इन्कार कर देने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वाद कारण आज से एक माह पूर्व उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :-

उपखण्ड अधिकारी
सौगोद जिला कोटा

माल ग्राम बोरिनाकलां पटवार हलका बोरीनाकलां खाता सं० नई 102 कुल 7 किता की 12. 36 हैक्टर, एवं अमृतकुआ पटवार हलका अमृतकुआ तहसील सांगोद में स्थित खाता सं० नई 63 कुल किता 11 की कुल 7.78 हैक्टर वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी का वाद पत्र की मद नं० 5 में वर्णित आपसी सहमति से हुए बंटवारे अनुसार अर्थात् मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में आराजी का विभाजन किया जाकर राज लगान पृथक-पृथक अंकन किया जावे, तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शाट्रेस में इन्द्राज दुरस्त किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें। इस आशय की घोषणा व विभाजन की डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध सादिर पारित फरमायी जावें।

माल ग्राम बोरीना कलां के खसरा नं० 764 की 0.10 हैक्टर कृषि भूमि रास्ते के रूप में स्थित है, खसरा नं० 765,766,767, की आराजी में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में काम में आवेगी। खसरा नं० 768 की 0.95 हैक्टर पूर्व में ही नहर निकल जाने से समाप्त हो गया है, इसलिए उक्त खसरा नं० 768 को खाते से डिलीट किया जावे। इसी प्रकार माल ग्राम अमृतकुआ की खसरा नं० 190 की 0.15 हैक्टर आराजी पूर्व में सरकारी रास्ते के रूप में गया हुआ है, तथा खसरा नं० 215 की 0.04 हैक्टर, गैर मुमकिन चाह व खसरा नं० 216 की 0.06 हैक्टर चाह उक्त दोनों खसरा नम्बरान सभी पक्षकारो वादी व प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में संयुक्त रूप से रहेगा। इस आशय की घोषणा की डिक्री वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध सादिर पारित फरमायी जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज सजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया कि प्रतिवादी सं. 17 फौत हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 ता 16, 18 ता 25, 27 ता 32 की ओर से प्रतिवादी अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है-

-:: जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम ::-

1. यह कि वाद पत्र की मद नं० 1 स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र की मद नं० 2 स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोट

3. यह कि वाद पत्र की मद नं० 3 स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र की मद नं० 4 स्वीकार है।
5. यह कि वाद पत्र की मद नं० 5 स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र की मद नं० 6 स्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र की मद नं० 7 लिखी अनुसार अस्वीकार है।
8. यह कि वाद पत्र की मद नं० 8 कानूनी है।
9. यह कि वाद पत्र की मद नं० 9 कानूनी है।
10. यह कि वाद पत्र की मद नं० 10 कानूनी है।

प्रार्थना वादी स्वीकार है।

माल ग्राम अमृतकुआ पटवार हलका अमृतकुआ तहसील सांगोद की खाता सं० नई 63 कुल किता 11 की कुल 7.78 हैक्टर आराजी में सहखातेदार प्रतिवादी नं० 19 विष्णुप्रसाद का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बिखनप्रसाद दर्ज हो रहा है, इसी प्रकार प्रतिवादी नं० 20 रघुवीर प्रसाद का वास्तविक नाम रविन्द्र कुमार है, इसी प्रकार प्रतिवादी नं० 27 हरिशंकर का वास्तविक नाम हरीश है, प्रतिवादी नं० 30 गुड्डीबाई का वास्तविक नाम सीमा है, जिनकी पुष्टि पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज से होती है। जिसके आधार पर उक्त नाम की शुद्धि करवाना आवश्यक हुआ है, तथा सहखातेदार कमलेश कुमार की मृत्यु दिनांक 07.14.2009 को हो चुकी है, जिसके वारिसान पूर्व से वाद में पक्षकार है, ऐसी स्थिति में कमलेश कुमार का नाम खाते से डिलीट किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिवादी नं० 30 गुड्डीबाई जिसका वास्तविक नाम सीमा है, रिकार्ड में नाबालिग दर्ज है, जिसके बालिग हो जाने से नाबालिग का नोट भी हटाया जाना आवश्यक है।

माल ग्राम बोरीनाकलां पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं० नई 102 कुल 7 किता की 12.36 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार प्रतिवादी नं० 20 रघुवीर प्रसाद का वास्तविक नाम रविन्द्र कुमार है, प्रतिवादी नं० 23 सोहनीबाई का वास्तविक नाम आशा है, प्रतिवादी नं० 25 मुन्नीबाई का वास्तविक नाम मंजू है, व प्रतिवादी नं० 26 चम्पीबाई का वास्तविक नाम हेमलता है। प्रतिवादी नं० 27 हरिशंकर का वास्तविक नाम हरीश है, प्रतिवादी नं० 30 गुड्डीबाई का वास्तविक नाम सीमा है, तथा सहखातेदार कमलेश कुमार की मृत्यु दिनांक 07.11.2009 को हो चुकी है, जिसके वारिसान पूर्व से वाद में पक्षकार है, ऐसी स्थिति में कमलेश कुमार का नाम खाते से डिलीट किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार चम्पीबाई पुत्री छीतरलाल का नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज हो जाने से उसे डिलीट किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्व रिकार्ड में उक्त खातेदारों के नाम में त्रुटि होने व मृतक के नाम अंकित होने से सहखातेदारान को अपने अपने हिस्से का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

भी काफी परेशानी होती है, तथा भविष्य में भी वादकारिता बढ़ने की काफी संभावना है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के लिए उक्त जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर सहखातेदारान के नाम दुरस्त करवाना व अपने हक में घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है।

काउन्टर क्लेम का वाद कारण प्रतिवादीगण को वाद के सम्मन प्राप्त होने के बाद नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर उक्त गलत नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर माल ग्राम अमृतकुआ पटवार हलका अमृतकुआ तहसील सांगोद की खाता सं० नई 63 कुल किता 11 की कुल 7.78 हैक्टर आराजी में सहखातेदार प्रतिवादी नं० 19 विष्णुप्रसाद का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बिखनप्रसाद दर्ज हो रहा है, इसी प्रकार प्रतिवादी नं० 20 रघुवीर प्रसाद का वास्तविक नाम रविन्द्र कुमार है, इसी प्रकार प्रतिवादी नं० 27 हरिशंकर का वास्तविक नाम हरीश है, प्रतिवादी नं० 30 गुड्डीबाई का वास्तविक नाम सीमा है, तथा सहखातेदार कमलेश कुमार की मृत्यु दिनांक 07.11.2009 को हो चुकी है, जिसके वारिसान पूर्व से वाद में पक्षकार है, ऐसी स्थिति में कमलेश कुमार का नाम खाते से डिलीट किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी नं० 30 गुड्डीबाई जो कि वास्तविक नाम सीमा है, रिकार्ड में नाबालिग दर्ज है, जिसके बालिग हो जाने से नाबालिग का नोट भी हटाया जावे तथा माल ग्राम बोरीनाकलां पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं० नई 102 कुल 7 किता की 12.36 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार प्रतिवादी नं० 20 रघुवीर प्रसाद का वास्तविक नाम रविन्द्र कुमार है, प्रतिवादी नं० 23 सोहनीबाई का वास्तविक नाम आशा है, प्रतिवादी नं० 25 मुन्नीबाई का वास्तविक नाम मंजू है, व प्रतिवादी नं० 26 चम्पीबाई का वास्तविक नाम हेमलता है। प्रतिवादी नं० 27 हरिशंकर का वास्तविक नाम हरीश है, प्रतिवादी नं० 30 गुड्डीबाई का वास्तविक नाम सीमा है, तथा सहखातेदार कमलेश कुमार की मृत्यु दिनांक 07.11.2009 को हो चुकी है, जिसके वारिसान पूर्व से वाद में पक्षकार है, ऐसी स्थिति में कमलेश कुमार का नाम खाते से डिलीट किया जावे। इसी प्रकार चम्पीबाई पुत्री छीतरलाल का नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज हो जाने से उसे डिलीट किया जावे। इय आशय की घोषणा की डिकी प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के विरुद्ध पारित फरमायी जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे।

उक्त जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश होने पर वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण ने काउन्टर क्लेम की मद सं. 1,2,3 स्वीकार करते हुए मुताबिक काउन्टर क्लेम खाते में नाम सही किया जाकर मुताबिक पारिवारिक विभाजन बंटवारा कर डिकी पारित किए जाने की प्रार्थना की।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

पत्रावली के अवलोकन से मैंने यह पाया कि पत्रावली में जो इकबाली जवाब मय काउन्टर क्लेम, जवाब काउन्टर क्लेम, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतर अवलोकन करने के उपरान्त मैं दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद मुताबिक काउन्टर क्लेम व पारिवारिक विभाजन स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि -

माल ग्राम बोरीनाकलां पटवार हलका बोरीनाकलां खाता सं० नई 102 कुल 7 किता की 12.36 हैक्टर, एवं अमृतकुआं पटवार हलका अमृतकुआं तहसील सांगोद में स्थित खाता सं० नई 63 कुल किता 11 की कुल 7.78 हैक्टर वाद पत्र में वर्णित आराजी का निम्नानुसार वादीगण व प्रतिवादी गण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है-

अ. वादीगण के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	767	2.40 हैक्टर सम्पूर्ण
माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	129	1.54 सम्पूर्ण
		128	0.56 मे से 0.06 पश्चिमी
		169	0.26 मे से 0.07 पश्चिमी

कुल किता 3 की -1.67 हैक्टर आराजी

इस प्रकार कुल आराजी 4.07 हैक्टर

ब. प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	770	0.06 सम्पूर्ण
		771	4.05 मे से 2.34 हैक्टर उत्तरी

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोत

कुल 2 किता की कुल 2.40 हैक्टर

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	219	0.64 मे से 0.16 हैक्टर पश्चिमी
		211	1.48 मे से 1.35 हैक्टर दक्षिणी
		169	0.26 मे से 0.06 हैक्टर मध्य

कुल 3 किता की कुल 1.57 हैक्टर

इस प्रकार कुल आराजी 3.97 हैक्टर आराजी

स. प्रतिवादी नं० 10 ता 17 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	771-	4.05 मे से 1.71 हैक्टर दक्षिणी

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	211	1.48 मे से 0.13 हैक्टर उत्तरी
		210	1.23 हैक्टर सम्पूर्ण
		219	0.64 मे से 0.16 हैक्टर पूर्वी
		169	0.26 मे से 0.06 हैक्टर पूर्वी

कुल 4 किता की कुल 1.58 हैक्टर

इस प्रकार कुल आराजी 3.28 हैक्टर आराजी

द. प्रतिवादी नं० 18 ता 31 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	766	2.40 हैक्टर सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
जिला कोटा

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	128	0.56 मे से 0.50 हैक्टर पूर्वी
		385	1.04 सम्पूर्ण
		476	0.78 हैक्टर सम्पूर्ण
		219	0.64 मे से 0.32 हैक्टर मध्य की
		169	0.26 मे से 0.07 हैक्टर मध्य की

कुल 5 किता की कुल 2.71 हैक्टर

इस प्रकार कुल आराजी 5.11 हैक्टर आराजी

य. प्रतिवादी नं० 32 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	765	2.41 हैक्टर


प्रतिवादी नं० 19 बिखनप्रसाद का नाम विष्णुप्रसाद, प्रतिवादी नं० 20 रघुवीर प्रसाद का नाम रविन्द्र कुमार, प्रतिवादी नं० 27 हरिशंकर का नाम हरीश, प्रतिवादी नं० 30 गुड्डीबाई का नाम नाबालिग का नोट हटाते हुए सीमा, प्रतिवादी नं० 23 सोहनीबाई का नाम आशा, प्रतिवादी नं० 25 मुन्नीबाई का नाम मंजू, प्रतिवादी नं० 26 चम्पीबाई पुत्री मदनलाल का नाम हेमलता किये जाने तथा चम्पीबाई पुत्री छीतरलाल का नाम हटाये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त घोषणा के अनुक्रम में आराजी का विभाजन किया जाकर राज लगान पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शाट्रेस में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
(अजना सहरावत)
सांगोद जिला कोट
उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
(अज्ञाना सहारावत)
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला
कोटा

प्रकरण संख्या : 82/2015

तारीख दायरा 6.10.2015

उनवान

1. हेमराज आत्मज सूरजमल
2. हंसराज आत्मज सूरजमल
3. धनराज आत्मज सूरजमल
4. सोहनीबाई पुत्री सूरजमल
5. संतोष पुत्री सूरजमल
6. लाडबाई बेवा सूरजमल जाति महाजन निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
राजस्थान। - वादीगण -

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
3. प्रकाशचन्द्र पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
4. रमेशचन्द्र पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
5. हुकमचन्द पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
6. चन्द्रशेखर पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
7. अमित पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
8. रामावतार पुत्र किशनगोपाल जाति महाजन।
9. उर्मिला पुत्री किशनगोपाल जाति महाजन निवासीगण सांगोद जिला कोटा।
10. राजेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन।
11. नीतीश कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन।
12. भरोस बाई पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन।

उपखण्ड अधिकारी
जिला कोटा

13. निर्मला बाई पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन ।
14. स्वेता पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन ।
15. हेमलता पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन ।
16. अनिता बाई पुत्री जगन्नाथ जाति महाजन ।
17. कमलाबाई बेवा जगन्नाथ जाति महाजन निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
18. श्यामलाल पुत्र मदनलाल जाति महाजन ।
19. विष्णुप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति महाजन ।
20. रघुवीर प्रसाद पुत्र मदनलाल जाति महाजन ।
21. शांतिबाई बेवा मदनलाल जाति महाजन
22. संजय कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन ।
23. सोहनीबाई पुत्री मदनलाल ।
24. इन्द्राबाई पुत्री मदनलाल ।
25. मुन्नीबाई पुत्री मदनलाल ।
26. चम्पीबाई पुत्री मदनलाल जाति महाजन निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद ।
27. हरिशंकर पुत्र छीतरलाल जाति महाजन ।
28. मिथलेश पुत्री छीतरलाल जाति महाजन ।
29. अनिता पुत्री छीतरलाल जाति महाजन ।
30. गुड्डीबाई पुत्री छीतरलाल ।
31. हेमलता बाई बेवा छीतरलाल जाति महाजन निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
32. मांगीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति महाजन निवासी सांगोद तह0 सांगोद ।
33. राजस्थान राज्य जर्गे तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

— प्रतिवादीगण —

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,209 आर0टी0एक्ट

3
उपस्यण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपस्थित :-

श्री किशोरी लाल चौधरी (वकील वादी)

दिनांक :- 22.12.2020

श्री बहादुर सिंह (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री किशोरी लाल चौधरी मिन जानिब मुदई रुबरु श्री मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-

माल ग्राम बोरीनाकलां पटवार हलका बोरीनाकलां खाता सं० नई 102 कुल 7 किता की 12.36 हैक्टर, एवं अमृतकुआं पटवार हलका अमृतकुआं तहसील सांगोद में स्थित खाता सं० नई 63 कुल किता 11 की कुल 7.78 हैक्टर वाद पत्र में वर्णित आराजी का निम्नानुसार वादीगण व प्रतिवादी गण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है-

अ. वादीगण के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	767	2.40 हैक्टर सम्पूर्ण
माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	129	1.54 सम्पूर्ण
		128	0.56 मे से 0.06 पश्चिमी
		169	0.26 मे से 0.07 पश्चिमी

कुल किता 3 की 1.67 हैक्टर आराजी

इस प्रकार कुल आराजी 4.07 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

ब. प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	770	0.06 सम्पूर्ण
		771	4.05 मे से 2.34 हैक्टर उत्तरी
कुल 2 किता की कुल 2.40 हैक्टर			

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	219	0.64 मे से 0.16 हैक्टर पश्चिमी
		211	1.48 मे से 1.35 हैक्टर दक्षिणी
		169	0.26 मे से 0.06 हैक्टर मध्य

कुल 3 किता की कुल 1.57 हैक्टर

इस प्रकार कुल आराजी 3.97 हैक्टर आराजी


स. प्रतिवादी नं० 10 ता 17 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	771	4.05 मे से 1.71 हैक्टर दक्षिणी

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	211	1.48 मे से 0.13 हैक्टर उत्तरी
		210	1.23 हैक्टर सम्पूर्ण
		219	0.64 मे से 0.16 हैक्टर पूर्वी
		169	0.26 मे से 0.06 हैक्टर पूर्वी

कुल 4 किता की कुल 1.58 हैक्टर

इस प्रकार कुल आराजी 3.28 हैक्टर आराजी


उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोट

द. प्रतिवादी नं० 18 ता 31 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	766	2.40 हैक्टर सम्पूर्ण

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
अमृतकुआ	नई 63	128	0.56 मे से 0.50 हैक्टर पूर्वी
		385	1.04 सम्पूर्ण
		476	0.78 हैक्टर सम्पूर्ण
		219	0.64 मे से 0.32 हैक्टर मध्य की
		169	0.26 मे से 0.07 हैक्टर मध्य की

कुल 5 किता की कुल 2.71 हैक्टर

इस प्रकार कुल आराजी 5.11 हैक्टर आराजी


य. प्रतिवादी नं० 32 के हिस्से व कब्जे में आयी आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
बोरीनाकलां	नई 102	765	2.42 हैक्टर

प्रतिवादी नं० 19 बिखनप्रसाद का नाम विष्णुप्रसाद, प्रतिवादी नं० 20 रघुवीर प्रसाद का नाम रविन्द्र कुमार, प्रतिवादी नं० 27 हरिशंकर का नाम हरीश, प्रतिवादी नं० 30 गुड्डीबाई का नाम नाबालिग का नोट हटाते हुए सीमा, प्रतिवादी नं० 23 सोहनीबाई का नाम आशा, प्रतिवादी नं० 25 मुन्नीबाई का नाम मंजू, प्रतिवादी नं० 26 चम्पीबाई पुत्री मदनलाल का नाम हेमलता किये जाने तथा चम्पीबाई पुत्री छीतरलाल का नाम हटाये जाने की घोषणा की जाती है।


उक्त घोषणा के अनुक्रम में आराजी का विभाजन किया जाकर राज लगान पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शाट्रेस में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा


(अज्ञान सहकारी)
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
(अज्ञान सहकारी)
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी

सांगोद